फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जग्गाराम पिता जवानाराम सालवी, निवासी बासडाई लाखागुड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द
—**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम

— **प्रत्यर्थी**

केस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 53/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 09.12.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम द्वारा जरिये क्रमांकः पंजीयन/2019/94–95 दिनांक 13.11.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार जरिये पत्र क्रमांकः पंजीयन/2019/50–51 दिनांक 26.09.2019 द्वारा इस कार्यालय द्वारा लिखा गया। बावजुद अपीलार्थी आज दिनांक तक कार्यालय में उपस्थित नही हुआ। चुंकि वांछित सूचना अपीलार्थी के नियमानुसार कार्यालय में उपस्थित होने पर ही नियमोर्न्तगत वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस बाबत पुनः अपीलार्थी को सूचना जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाई जा रही हैं। वांछित सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को स्वयं उपस्थित होने पर उपलब्ध करवा दी जायगी। नोटिस सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्युत्तर में निरस्त फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में तहसीलदार, भीम द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजने के बावजूद उपस्थित होकर सूचना प्राप्त नही किया जाना जवाब से पाया गया हैं।

अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना तहसील कार्यालय में 07 दिवस में उपस्थित हो सूचना का अधिकार, आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में अभिलेख का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त करें। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द